ISSN 2395-051X

सरोगेसी प्रक्रिया (सामाजिक कानूनी मान्यता)

डॉ. रश्मि दुबे
प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

बच्चो की चाह व मानव प्रजनन विज्ञान की प्रगति ने सरोगेसी माँ की अवधारणा को जन्म दिया। सरोगेसी आधुनिक विज्ञान को वह तकनीक है जिसने संतान होने को खुशियो से लबरेज किया है। जिसे सामाजिक मान्यता व स्वीकार्यता मिल रही है। संतानोत्पति को नई तकनीक सरोगेसी ने वर्तमान परिदृश्य को बदल कर संतान होने को नया विकल्प मुहैया कराया है। जिन्हे ईश्वर ने संतान नही दी उन्हे चिकित्सक इस नई तकनीक से संतान दे रहे है। वंश वेल को आगे बढाने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशो का रूझान इस तकनीक की ओर बढ़ा है। और वे लाभान्वित हो रहे है। सामान्यतः सरोगेसी शब्द लैटिन शब्द 'सबरोगेट' से आया है। जिसका शब्दिक अर्थ है "किसी और को अपने काम के लिए नियुक्त करना" सरोगेसी से आशय है उस अवस्था से है। जिसमे कोई महिला किसी अन्य महिला की ओर से गर्भ धारण करती है। इस तकनीक का सहारा तब लिया जाता है। जब कोई महिला बीमारी या कमजोरी अथवा किसी अन्य वजह से गर्भ धारण करने मे अक्षम होती है सरोगेसी का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के लिए शिशु को अपनी कोख मे धारण करना और उसे जन्म देना। इससे एक महिला दूसरी महिला के लिए इस मंशा से बच्चे को कोख मे धारण करती हैं। कि जन्म के बाद बच्चा दूसरी महिला को सौंप दिया जाऐगा। अन्य शब्दो मे सरोगेसी एक महिला और दंपत्ति के मध्य एक करार है जो बच्चें के जन्म तक एक महिला की किराये की कोख लेने से है।

मातृत्व स्त्री के जीवन का सबसे सूबसूरत एवं सुखद अहसास होता है। जब वह इससे ही असफल हो जाती है। तब सरोगेसी एक चिकित्सा विकल्प के रूप मे उपलब्ध होती है सरोगेसी के इच्छुक दम्पत्ति मे से पिता के शुक्राणुओं को एक स्वस्थ महिला के अंण्डाणु के साथ प्राकृतिक रूप से निशेचित किया जाता है। शुक्राणुओं को सरोगेट मदर के नेचुरल ओव्युलेशन के समय डाला जाता है। इस प्राकर सरोगेसी वह प्रक्रिया है। जिस द्वारा एक महिला जानबूझकर गर्भवती होती है जबकि उसका आशय गर्भस्थ शिशु को अपने साथ रखना नही होता है। वह महिला वस्तुतः उस शिशु को किसी अन्य दम्पति को देने के लिए अपने गर्भ मे धारण करती है।

सामान्यताः सरोगेसी परोपकार की भावना से भी होती है। और व्यावसायिक भी हो सकती है। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलु होते है। उसी प्रकार सरोगेसी को भी दो पहलु के रूप मे देखा जा सकता है। इसका सकारात्मक पहलु यह है कि इससे निःसंतान दंपत्तियो को संतान की प्राप्ति होती है। जिससे उनकी वंश बेल पुष्पित होती है।

व्यावसायिक सरोगेसी की स्थिति मे सरोगेट माँ को भी इसका आर्थिक लाभ मिलता है वह अर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है। और उसके जीवन स्तर मे भी सुधार आता है। गरीब महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से लाभ प्रद है। जहाँ सरोगेसी परोपकार की भावना से की जाती है वहॉ यह परमार्थ से जुड़ा एक ऐसा कार्य

है। जिससे असीम भावनात्मक सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस कार्य द्वारा निःस्वार्थ भाव से महिला किसी परिवार को एक अनमोल तोहफा देती है। और समाज मे भी सरोगैसी तकनीक के विकसित होन से नये दृष्टिकोण का विकास व लोगो के बीच जागरूकता बढने से महिलाओ के विरूद्ध होने वाले अपराधो मे भी कमी आयेगी।

वही सरोगेसी एक आलोचक पहलु यह है कि इससे बच्चा बच्चा नही बल्कि कमोडिटी बन जाता है। और माँ और बच्चे के बीच का भावात्मक संबंध टूट जाता है। अल्पविकसित देशो में सरोगेसी के कारण महिलाओं का दैहिक शोषण होता है। क्योकि वे धन के लिए अपना शरीर अपनी कोख बेचती है। इस तकनीक के बढते प्रभाव के कारण बच्चो का गोद लेने का प्रचलन भी कम होने लगा है। सामाजिक ताने-बाने के लिए यह बात भी घातक है कि कुछ लोग व्यस्तता के कारण बच्चे पैदा नही करना चाहते है। और इस वजह से तकनीक का सहारा ले रहे है। यह बात भी नैसर्गिक नियमों के विपरीत है। चूकि भारत मे गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः महिला को उनके पतियो अथवा घर वालो द्वारा सरोगेसी के लिए बल पूर्वक बाध्य भी किया जा रहा है। और कही-कही सरोगसी तकनीक को अपना धंधा बनाकर बिचौलियों ने भी अपनी जड़े जमा ली है। और उनके द्वारा गरीब व अशिक्षित महिलाओं को सरोगेसी माँ बनने के लिए उकसाया जा रहा है।

इस प्रकार भारत मे सरोगेसी से जुड़ी सकारात्मकता भी है। और नकारात्मकता भी है। सकारात्मक तो अपनी जगह उचित ही है। परंतु नकारात्कता को भी हम नकार नही सकते क्योकि इसने सरोगेसी के संदर्भ मे नैतिकता को कटघरे मे खडा किया हैं। वर्तमान मे सरोगेसी एक विवादस्पद मुद्दा है। भावनात्मक लगाव होने के कारण सर्रागेट मदर बच्चे को उसके कानूनी माता पिता को देने से इंकार कर देती है। बच्चा दिव्यांग हो जाये या जुडवा हो जाये तब कई तरह के विवाद सामने आते है जिनमे जेनेटिक माता पिता द्वारा बच्चे को अपनाने से इंकार करना जैसे विवाद भी शामिल हैं।

अतः इन समस्याओ व उलझनों के निवारण हेतु एक संतुलित व सर्वमान्य बीच का रास्ता निकालना होगा और इस रास्ते की रूप रेखा सरोगेसी को अत्याधिक विनियमित करके ही तैयार की जा सकती है। आवश्यकता है एक पारदर्शी एवं नियंत्रण मूलक कानून को लागू किये जाने की। भारत में सरोगेसी से संबंधित कानून लागू करवाने के लिये 2008, 2009, 2012 में कई विधेयक लाये गये परन्तु कोई भी विधेयक पास नही किया गया और वर्तमान मे सरोगेसी सम्बंधी विवादो एवं सरोगेसी विनियमन विल 2016 संसद मे लाकर कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है।

केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि वर्तमान मे किराये की कोख संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिये वैधानिक तंत्र उपलब्ध नही होने के कारण ग्रामीण एवं आदिवासी इलाको सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में किराये की कोख के माध्यम से गर्भ धारण के मामले हुये जिसमें महिलाओं के संभावित शोषण की आशंका बनी रहती है। अतः इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। इस विधेयक में सरोगेसी के लिये निम्नलिखित कों अनुमति नही मिली

(1) समलैंगिक जोड़े, होमोसेक्सयुअल जोडे, एकल माता पिता, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोडे, विदेशियो, दंपत्ति जिनके बच्चे है, कोई व्यवसायिक सरोगेसी का प्रयास।
(2) जो दंपत्ति पाँच वर्ष से विवाहित हो।

ISSN 2395-051X

(3) दम्पति मे से एक को संतान पैदा करने मे सक्षम होना चाहिए।
(4) केवल भारतीय नागरिक जिसमें आदिवासी भारतीय सम्मलित नही है।
(5) दंपत्ति की आयु सीमा-महिलाओं के लिये 23-50 वर्ष एवं पुरूष के लिये 26-55 वर्ष।
(6) महिला को एक बार ही बच्चा सरोगेसी हो सकेगी। एवं विवाहित दंपति केवल एक बार ही बच्चा कर सकते है।
(7) केवल संबंधी या रिश्तेदार महिला ही सरोगेस मदर हो सकेगी।
(8) अंण्डाणु दान प्रतिबंध।

इस प्रकार सरोगेसी को कानूनी बंदिशो व कुछ शर्तो के साथ लागू किया जाना उचित है जिससे इस तकनीक के दुरूपयोग को रोका जा सके तथा इसके माध्यम से अनैतिक व्यापार को बढ़ावा न मिले ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिससे समाज और महिलाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े।

संदर्भ

1. चौधरी एस.एस. : भारतीय धर्म एवं दर्शन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
2. पाल बी. के. : सामाजिक मनोविज्ञान यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
3. इंडिया टुडे (पत्रिका) : कुछ अपना करने की धुन विशेषांक, लिविंग मीडिया, इंडिया लिमिटेड नोएडा दिल्ली 6 जनवरी 2016
4. सवलिया बिहारी वर्मा : ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2011
5. प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी : वूमेन राइट इन इंडिया, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2011